



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ20006

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area,
अजमेर -305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/5591/MCDR-MiFLOLST/26/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 30.01.2024

प्रेषित: प्रबन्ध निदेशक एवं खान मालिक, चावण्डिया चूना पत्थर खान,
मेसर्स एम डब्लू माइंस प्राइवेट लिमिटेड,
रामदेव मंदिर मार्ग, खिमसर, जिला-नागौर(राजस्थान), 341 025
Email: drrsg@mwmmines.com, mines@mwmmines.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Chawandia Limestone Mine** (Lease area 335.37 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 25.12.2023 by the undersigned in presence of Sh. Harendra Singh, Mines Agent:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
45(7)	In annual return 2022-23 following discrepancies were observed: 1) Under item 2 of Part-V, the figure of depletion of reserve is not matching with ROM production during the reporting year. Accordingly balance resources as on 31.03.2023 should be corrected. 2) Under item 4 of Part-V, it is mentioned that total 7900 cubic meter waste disposed in dumps during the year whereas during the inspection it was reported that entire quantity of waste generated during the year used in backfilling. 3) Under item 5 of part-V, the total no. of trees at the end of year is not reported correctly. 4) Under item 5 Part VI, Registration nos. of the few buyers have not been mentioned. 5) In Part-VII, the cost of production per tonne has not been calculated as per ROM production quantity.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियमावली, 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से से 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताए कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए पैरा 02 एवं पैरा 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय

(डी. आर. गुर्जर)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित : -

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
4. रक्षित पत्रावली।